

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2025- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1), (3) तथा धारा 21, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I)कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II)कॉलम (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक "(i)" जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में , -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष , -

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
“(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	अथवा	
	9	—”;

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का ‘बहु साधन द्वारा परिवहन’ (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात अन्य सेवा प्रदाता

	से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल परिवहन के लिए एक से अधिक
--	--

		साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए (माल परिवहन एजेंसी) यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से संघ राज्य कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से संघ राज्य कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये। (ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iक) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(iक) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
		अथवा
	9	”;

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

“12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए	9	-
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	0.75	-";
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान;	2.5	

		(घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी; (ड) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण; (च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से संघ राज्य कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के		
--	--	--	--	--

		अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से संघ राज्य कर लगता है; (झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं; (ज) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं, निम्नलिखित के संबंध में- (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से संघ राज्य कर लगता है।	2.5	
		(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	

		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	
--	--	--	---	--

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35"	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएं।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में

				प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित केंद्रीय कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	9	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य कर (दर)

तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(i) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxx) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (xxxx) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 703(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (य ब) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है। ;

(xxiii) 'परिवहन के साधन के प्रकार' से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों , के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।